स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) उत्तर प्रदेश की दिनॉक 27.12.2012 को आयोजित 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

SO-1
Please see
09/01/13
जारी/सेल
09/01/2013

अध्यक्ष एसएलएनए/कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्मानित सदस्यगण एवं विभागीय अधिकारी गण की उपस्थिति में एसएलएनए की 14वीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है। प्रमुख सचिव भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए द्वारा बैठक में पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से एजेन्डा प्वाइन्ट्स पर बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया।

बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त निम्नवत् है :-

1. एसएलएनए की दिनाँक 27.8.2012 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त पर सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी।

2. एसएलएनए की दिनाँक 27.8.2012 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर बिन्दुवार अनुपालन की स्थिति से सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :-

- वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के 249 के सापेक्ष समस्त 249 परियोजनाओं की डी.पी.आर. ऑनलाइन किया जा चुका है एवं समस्त परियोजनाओं में विकास कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं।
- शासनादेश संख्या 700/54-1-12/1(समादेश)/2009टीसी दिनॉक 27.09.12 द्वारा लाइवलीहुड, प्रोडक्शन सिस्टम एवं माइक्रोइण्टरप्राइजेज मद के कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत किये जा चुके है, जिसके अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की परियोजनाओं में प्रगति में सुधार परिलक्षित हुआ है।
- राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA) भारत सरकार के टेक्निकल एक्सपर्ट (वाटर मैनेजमेन्ट) डा0 के0 डी0 शर्मा के द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप जनपद चित्रकूट की एक परियोजना-आईडब्ल्यूएमपी-XII को कार्य योग्य मानते हुए परियोजना का डीपीआर तैयार करा दिया गया है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 53 परियोजनाओं के सम्बन्ध में एसएलएनए की 13वीं बैठक (27.08.2012) में लिए गए निर्णय के अनुसार शासन के पत्र संख्या 663/54-1-12/8(22)/2011 दिनांक 06.09.2012 द्वारा भारत सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश माँगे गये, जिसके प्रत्योत्तर में भारत सरकार के पत्र संख्या के-11013/19/2012-आईडब्ल्यूएमपी (यू0पी0) दिनांक 01.10.2012 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए कि 18 परियोजनायें जिनके कि क्षेत्र में 25 प्रतिशत से कम कमी आयी है, का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर संशोधित पीपीआर (टेबुल-पीपीआर 7) प्रस्तुत किया जाय। इसके अतिरिक्त 24 परियोजनायें जिनके कि क्षेत्र में 25 प्रतिशत से अधिक कमी आयी है, की निरन्तरता बनाये रखते हुए, रिआर्गनाइज कराकर संशोधित पीपीआर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार के उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या 1679/54-1-12/8(22)/2011 दिनांक 6 दिसम्बर 2012 द्वारा संशोधित पीपीआर भेजते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया। प्रस्तावित कार्यवाही में 18 परियोजनायें जिनके कि क्षेत्र

में 25 प्रतिशत से कम कमी आयी थी, का विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर संशोधित पीपीआर, 15 परियोजनायें जिनके कि क्षेत्र में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी थी, को निर्देशानुसार जोड़कर 07 परियोजनाएं तैयार की गयी तथा इनका पीपीआर प्रस्तुत किया गया। 06 परियोजनाएं जिनके कि क्षेत्र में 25 प्रतिशत से अधिक कमी आयी थी परन्तु कार्य योग्य क्षेत्र 2700–4100 हे0 के मध्य है, के संशोधित पीपीआर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गए हैं कि उपलब्ध क्षेत्र परियोजना कार्यान्वयन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अतः इसकी सहमति प्रदान की जाय। 03 परियोजनायें जिनका कि क्षेत्र 1300–2500 के मध्य है, को फोर क्लोज्ड किए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11013/19/2012/आईडब्ल्यूएमपी (यूपी) दिनांक 14.11.2012 द्वारा वांछित संशोधनोपरान्त शासन के पत्र संख्या 1478/54–1–12/1(समादेश)/08 टीसी दिनांक 05.12.2012 द्वारा केन्द्रांश का प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 की समस्त 183 डीपीआर तैयार कराकर ऑनलाइन कराई जा चुकी हैं।
- वर्ष 2012–13 हेतु आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत भारत सरकार से निर्धारित लक्ष्य 3.13 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की 28वीं बैठक में 3.18 लाख हेक्टेयर के 64 परियोजनाओं के पीपीआर **अप्रेज्ड एण्ड क्लियर्ड** किये जा चुके है, जिसके अनुक्रम मे शासन के पत्र संख्या 725/54–1–12/1(समादेश)/2008 टीसी दिनॉक 03.10.2012 के द्वारा 06 प्रतिशत के केन्द्रॉश की मॉग हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।
- आपरेशनल/तकनीकी/सोशल मोबलाइजेशन/प्रोडक्शन सिस्टम एवं माइक्रो इन्टरप्राइजेज एवं कैपसिटी बिल्डिंग के मैनुअल्स तैयार किए जा चुके हैं। इन सभी मैनुअल्स के प्रकाशन से पूर्व परीक्षण, गठित समिति द्वारा किया जा रहा है।
- कार्यालय ज्ञाप सं0 698/54–1–12/1(समादेश)/2008 दिनॉक 25.9.2012 के द्वारा निदेशक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 को एसएलएनए का सदस्य नामित करने हेतु आदेश निर्गत किया जा चुका है।
- शासनादेश संख्या–735/54–1–12/8(16)/2012 दिनॉक 04.1.0..2012 के द्वारा एसएलडीसी व डब्ल्यूसीडीसी में कार्यरत टेक्निकल एक्सपर्ट व स्टाफ के लिये दो वर्ष हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों/अध्यक्ष डब्लूसीडीसी को भारत सरकार के पत्र दिनॉक 02.08.2012 के क्रम में अवगत कराया जा चुका है।
- एसएलएनए में उपलब्ध संस्थागत मद के अन्तर्गत अर्जित ब्याज की धनराशि से एस0एल0डी0सी में कार्यरत टेक्निकल एक्सपट्र्स/कार्मिकों को माह जुलाई, 2012 के वेतन ₹3.65 लाख का भुगतान किया जा चुका है।
- इग्नू (IGNOU) द्वारा संचालित वाटरशेड मैनेजमेंट के एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम में 20 भूमि संरक्षण अधिकारी, 40 अवर अभियन्ता एवं 40

एएससीआई (कुल 100) को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

- रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 द्वारा जीआईएस एवं जीपीएस की आधुनिकतम तकनीकी उपयोग से विभागीय एवं पीआईए के तकनीकी कर्मचारियों को भिज्ञ कराने के उद्देश्य से अब तक 05 प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित कर 150 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिस पर ₹ 7.50 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। समस्त फील्ड लेवेल आफीसर्स के प्रशिक्षित किए जाने तक, भविष्य में भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते रहेंगे।
- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–763/54–1–12/8(46)/2012 दिनॉक 18.10.2012 के द्वारा आईडब्ल्यूएमपी की डीपीआर तैयार करने से पूर्व रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 के एक सदस्य, कृषि क्षेत्र के एक विशेषज्ञ, जल संसाधन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ, मृदा विज्ञान क्षेत्र के एक विशेषज्ञ, सिविल अभियांत्रिकी के एक विशेषज्ञ की स्वतंत्र समिति का गठन किया जा चुका है।
- शासन के पत्र संख्या 727/54–1–12/8(40)/12 दिनॉक 3.10.2012 के द्वारा भारत सरकार से आईडब्ल्यूएमपी के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु निष्पादित कराये गये कार्यों का सोशल आडिट से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित कराने हेतु अनुरोध किया जा चुका है, जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित है। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–353 दिनांक 30 जून 2011 द्वारा अधिसूचित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम–2011 एवं ग्राम्य विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–2245/अड़तीश–7–2012 –200– नरेगा/2009 दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 के आलोक में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सोशल आडिट का मैनुअल एवं फारमेट तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
- विभागीय अधिकारियो/कर्मचारियों एवं एसएलडीसी के कार्मिकों को प्रभावी अनुश्रवण एवं संचार हेतु सीयूजी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 713/54–1–12/8(39)/12 दिनॉक 3.10. 2012 के द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है तथा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2012 द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में टेलीकाम आपरेटर के चयन हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।
- आईडब्ल्यूएमपी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे कार्यों तथा उनकी उपलब्धियों की सूचना को प्रचारित–प्रसारित करने एवं सर्व सुलभ कराये जाने हेतु वेदरप्रूफ डिस्प्ले बोर्ड (रिट्रो–रिफ्लेक्टिव) स्थापित करने तथा समुचित साहित्य प्रकाशित एवं वितरित करने के उद्देश्य से शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 712/54–1–12/8(38)/2012 दिनॉक 01.10.2012 के द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है तथा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 30.11.2012 को आयोजित की जा चुकी है एवं कार्यवाही प्रगति पर है।
- वित्तीय वर्ष 2009–10 की स्वीकृत परियोजनाओं का आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट से कराने हेतु 22 चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स के पूर्व अनुमोदित पैनल

के समय का विस्तार शासनादेश संख्या 645/54–1–11/8(5)/2011 दिनॉक 31.8.2012 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी को अनुमोदित चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स के पैनल की सूची प्रेषित की जा चुकी है।

- आईडब्ल्यूएमपी योजना के डीपीआर तैयार करने के विभिन्न पहलुओं को परीक्षण करने तथा इसकी मॉडेलिटीज (MODILITIES) वर्कआउट करने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 655/54–1–12/1(समा)/2009टीसी दिनांक 06 सितम्बर 2012 द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है। समिति द्वारा विभिन्न बैठकें आयोजित करके डीपीआर को तैयार करने हेतु इसके विभिन्न पहलुओं को परीक्षण किया गया तथा मॉडेलिटीज वर्कआउट करते हुए प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। एजेन्डा बिन्दु संख्या–8 पर समिति के विभिन्न कार्यवृत्तों एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेशों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
- एसएलएनए की 10वीं बैठक दिनांक 03.11.2011 में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु गठित पैनल द्वारा आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्यॉकन कराये जाने हेतु निर्देश समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी को शासनादेश संख्या 726/54–1–12/8(11)/2011दिनॉक 03.10.2012 निर्गत किया जा चुका है।
- क्षमता निर्माण (C.B.) हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 745/54–1–12/01(01)/2012 दिनॉक 5.10.2012 द्वारा आईडब्ल्यूएमपी के क्षमता निर्माण कार्य में एग्रीकल्चर फाइनेंश कारपोरेशन लिमिटेड को क्षमता निर्माण के पैनल में शामिल करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

  क्षमता निर्माण (C.B.) हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 212/54–1–12–प्रशिक्ष–1(1)/2011दिनांक 07.05.2012 द्वारा नाबार्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेज लिमिटेड NABARD & Its Sister Concern (NABCONS) को क्षमता निर्माण के पैनल में पूर्व में शामिल किया जा चुका है, इस शासनादेश का एसएलएनए द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव एजेन्डा बिन्दु संख्या–6 पर प्रस्तुत किया गया है।
- रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 द्वारा जीआईएस एवं जीपीएस के आधुनिकतम तकनीकी उपयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बुन्देलखण्ड रीजन के 50 अधिकारियों को जीआईएस बेस्ड नियर रियल टाइम मॉनीटरिंग का प्रशिक्षण श्री अनिल ओबेराय, मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश सरकार की टीम द्वारा दिनांक 02 एवं 03 नवम्बर, 2012 को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- एसएलएनए की 13वीं बैठक में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA) भारत सरकार के टेक्निकल एक्सपर्ट (वाटर मैनेजमेन्ट) डा0 के0डी0शर्मा द्वारा दिए गये सुझाव के अनुरूप आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में डार्क ब्लॉक्स को चयनित किए जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 733/54–1–12/8(43)/स0ब0 दिनॉक 04.10.2012 द्वारा भारत सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके अनुक्रम में भारत सरकार का पत्र संख्या 8–23/NRAA/WD/2012 दिनांक 07.11.2012

प्राप्त हुआ है, जो कि एजेन्डा बिन्दु संख्या–13 पर एसएलएनए के विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं की वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 2012 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में स्वीकृत कुल 487 परियोजनाओं में अब तक कुल 1,36,727 हेक्टेयर क्षेत्र का आच्छादन किया जा चुका है। आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं हेतु कुल ₹ 359.7262 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष 30 नवम्बर 2012 तक कुल ₹ 236.5488 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जबकि ₹123.1775 करोड़ की धनराशि अवशेष (UNSPENT BALANCE) है। वित्तीय वर्ष 2011–12 की स्वीकृत रामगंगा समादेश की 35 (नान–बुन्देलखण्ड) परियोजनाओं में मात्र 3 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया कि कार्यक्रम कियान्वयन हेतु निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण कर लिया गया है तथा भविष्य में त्वरित प्रगति किये जाने की रणनीति तैयार की गयी है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 की स्वीकृत कृषि विभाग की बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 53 परियोजनाओं में 38 प्रतिशत व्यय किए जाने पर भी असन्तोष व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में निदेशक, कृषि द्वारा यह अवगत कराया गया कि संशोधित परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करा ली गयी है, अपेक्षित प्रगति शीघ्र सुनिश्चित करा ली जाएगी।

एसएलएनए की 13वीं बैठक के पश्चात लाइवलीहुड एक्टीविटीज तथा प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज मद में प्रगति में सुधार परिलक्षित है, अध्यक्ष द्वारा इसे और गति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।

अध्यक्ष द्वारा मॉनीटरिंग (MONITORING) मद में मात्र 5 प्रतिशत तथा इवैलुएशन (EVALUATION) मद में मात्र 7.3 प्रतिशत धनराशि व्यय किए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए इन मदों के सापेक्ष प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गये।

4. वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 183 परियोजनाओं में से 154 परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु नामित संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन किए जाने की अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में सदन को यह अवगत कराया गया कि स्वीकृत 183 परियोजनाओं में से 29 परियोजनाओं का मूल्यांकन पूर्व में ही कराया जा चुका है जबकि अवशेष 154 परियोजनाओं के PREPARATORY PHASE के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल का गठन किया जा चुका है। लगभग सभी परियोजनाओं में मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है एवं 15 जनवरी, 2013 तक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने सम्भावित हैं।

5. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को आयोजित 28वीं बैठक में प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटित लक्ष्य 3.13 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 3.18 लाख हेक्टेयर की 64 परियोजनाएं अप्रेज्ड एण्ड क्लीयर्ड की जा चुकी हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या Z–11011/23/2009–PPC(Pt.) दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 के साथ स्टेयरिंग कमेटी की उपरोक्त बैठक के मिनट्स पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जल संग्रहण परियोजनाओं के अध्यक्ष/सचिव/सेल्फ हेल्प ग्रुप/यूजर्स ग्रुप/डब्ल्यूसीडीसी/डब्ल्यूडीटी/डब्ल्यूसी/स्टेक होल्डर्स एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थाओं के सम्बन्ध में पत्रावली पर कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष एसएलएनए के निर्देश दिनांक 17.02.2012 के अनुक्रम में प्रस्ताव का एसएलएनए द्वारा औपचारिक अनुमोदन एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश सं0 212/54–1–12–प्रशि–1(1)/2011 दिनांक 07.5.2012 के क्रमांक 7 के सम्मुख अंकित सी.एफ.डी.ए. को छोड़कर शेष सरकारी संस्थाओं की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तद्नुसार उक्त शासनादेश को संशोधित (Corrigendum) कर निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. SCIENCE & TECHNOLOGY ENTREPRENEURS' PARK [A GOVT. OF INDIA SOCIETY FUNDED BY DST, IDBI, IFCI, ICICI, CBI & GOVT. OF U.P.] HARCOURT BUTLER TECHNOLOGICAL INSTITUTE, KANPUR को आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु अध्यक्ष एसएलएनए के अनुमोदन दिनांक 06.11.2012 के अनुकम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 828/54–1–12/01(01)/2010 दिनॉक 17.11.2012 के कार्योत्तर/औपचारिक अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. आईडब्ल्यूएमपी योजना के डीपीआर को तैयार करने, इसके विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने तथा इसकी मॉडेलटीज वर्कआउट करने एवं प्रक्रिया को तैयार करने हेतु गठित उप समिति के कार्यवृत्त क्रमशः दिनांक 20.09.2012, 24.11.2012 एवं 03.12.2012 द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों पर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अध्यक्ष, एसएलएनए द्वारा प्रदान किए गये अनुमोदन क्रमशः दिनांक 28.09.2012, 28.11.2012 एवं 12.12.2012 तथा उक्त अनुमोदनों के क्रम में निर्गत शासनादेशों क्रमशः संख्या 724/54–1–12/1(समादेश)/2009 टीसी दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 एवं संख्या 890/54–1–12/1(समादेश)/2009 टीसी दिनांक 12.12.2012 के कार्योत्तर/औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. वित्तीय वर्ष 2011–12 में बुन्देलखण्ड पैकेज में स्वीकृत एवं कृषि विभाग को हस्तानान्तरित 53 परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या के–11013/19/2012–आईडब्ल्यूएमपी (यूपी) दिनॉक 01 अक्टूबर, 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या पर कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष एसएलएनए द्वारा प्रदान किए गये अनुमोदन दिनांक 05.12.2012 एवं तत्क्रम में संयुक्त सचिव (डब्ल्यू.डी), भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए गए पत्र संख्या 1679/54–1–12/8(22)/2011 दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. एसएलडीसी में सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध कराये गये टेक्निकल एक्सपर्ट्स एवं अन्य कार्मिकों को माह अगस्त एवं सितम्बर, 2012 के वेतन का भुगतान संस्थागत मद के अन्तर्गत अर्जित ब्याज से किये जाने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष एसएलएनए द्वारा दिए गये अनुमोदन दिनांक 09.11.2012 के प्रस्ताव पर कार्योत्तर/औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त एसएलडीसी में सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध कराये गये टेक्निकल एक्सपर्ट्स एवं अन्य कार्मिकों को माह अक्टूबर, 2012 के वेतन ₹4.50 लाख का भुगतान ब्याज मद में उपलब्ध कुल धनराशि ₹ 6.14 लाख में से किए जाने के प्रस्ताव पर भी सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त एस0एल0एन0ए0/आई–एस/1/2009–10/आई0डब्ल्यू0एम0पी0 दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 द्वारा संस्थागत मद में ₹ 527 लाख की धनराशि तथा भारत सरकार के पत्र संख्या के–11012/ 23/2009/आईडब्ल्यूएमपी(IS) दिनांक 05.10.2010 द्वारा ₹ 161.25 लाख की धनराशि जनपदों में स्थापित डब्ल्यूसीडीसी तथा एसएलएनए की स्थापना हेतु आवंटित की गयी। संस्थागत मद में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी कुल धनराशि ₹ 688.25 लाख में से 31 मार्च, 2012 तक हुये व्यय का आडिट नामित चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स के पैनल से कराया जा चुका है तथा उसकी संकलित रिपोर्ट भी तैयार कर ली गयी है। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 तक संस्थागत मद में प्राप्त कुल धनराशि ₹ 688.25 लाख के सापेक्ष ₹ 419.83 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। भारत सरकार से एसएलएनए में स्थापित एसएलडीसी तथा जनपदों में स्थापित डब्लूसीडीसी में नियुक्त कार्मिकों के वेतन आदि हेतु संस्थागत में ₹ 1029.00 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के प्रस्ताव को एसएलएनए के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया।

11. आईडब्ल्यूएमपी योजनाओं के प्रारम्भिक चरण के कार्यों में आस्थामूलक कार्य (ईपीए) के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी गण/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी, को निर्गत शासनादेश संख्या 886/54–1–12 दिनांक 12.12.2012 के कार्योत्तर/औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के मूल्यांकनकर्ता सरकारी एजेन्सियों द्वारा मूल्यांकन कार्य हेतु निर्धारित प्रोजेक्ट कास्ट नार्म्स के अनुसार मानदेय/टीए/डीए की दरों में वृद्धि की मांग के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2012 को अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20.12.2012 के कार्यवृत्त/संस्तुतियों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

13. एसएलएनए की 13वीं बैठक दिनांक 27.08.2012 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–14 के अनुसार सोशल आडिट के प्रारूप को एन.आर.ए.ए. से अनुमोदित कराने विषयक भारत सरकार को प्रेषित शासन के पत्र संख्या 727/54–1–2012/8(40)/12 दिनांक 03.10.2012 पर श्री ए0के0 सिक्का, टेक्निकल एक्सपर्ट (डब्ल्यू. डी.) योजना आयोग, एन.आर.ए.ए.,भारत सरकार के प्राप्त उत्तर पत्र संख्या 8–23/NRAA/WD/2012 दिनांक 07.11.2012 एसएलएनए मे विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सदन को यह अवगत कराया गया कि आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के सोशल आडिट की संस्थागत व्यवस्था को विकसित किये जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–353 दिनांक 30 जून 2011 द्वारा अधिसूचित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम–2011 एवं ग्राम्य विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 2245/अड़तीस–7–2012–200 नरेगा/2009 दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 के आलोक में

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सोशल आडिट का मैनुअल एवं फार्मेट तैयार किए जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मनरेगा योजना के लिए लागू सोशल आडिट के संस्थागत ढांचे को आईडब्ल्यूएमपी की परियोजनाओं के सोशल आडिट हेतु भी प्रयोग किये जाने की सम्भावना पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं का सोशल आडिट भी मनरेगा के सोशल आडिट निदेशालय से कराने हेतु संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर लिया जाय।

14. आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत मजदूरों को बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्र संख्या 1052/एसटी/डब्ल्यूसीडीसी/2012–13 दिनांक 19.09.2012 को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा सर्वथा उचित मानते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत मजदूरों को बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किये जाने पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

15. वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक कुल 487 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनका क्षेत्रफल 24.25 लाख हेक्टेयर है। स्वीकृत परियोजनाओं में से वित्तीय वर्ष 2011–12 की बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 53 परियोजनाओं का पीआईए कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाइयाँ नामित हैं। शेष 434 परियोजनाओं का पीआईए भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की भूमि संरक्षण इकाईयाँ नामित की गयी हैं। भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की इकाइयों की स्थापित क्षमता के दृष्टिगत यह उचित होगा कि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत की जाने वाली आईडब्ल्यूएमपी की परियोजनाओं को आवश्यकतानुसार कृषि/वन विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को पीआईए नामित किया जाय। इस प्रस्ताव पर वन विभाग एवं कृषि विभाग के उपस्थित अधिकारियों द्वारा सहमति प्रदान की गयी। सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

16. भारी मृदा कार्य वाली संरचनाओं यथा–कच्चे चेक डैम, जल संचयी बाँध, तालाब आदि के निर्माण में मशीनों के प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए संयुक्त निदेशक समादेश बन्धु द्वारा सदन को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि मशीनों के प्रयोग से कार्य क्षमता में वृद्धि होने के साथ–साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। प्रति इकाई मृदा कार्य दर में कमी आने से कार्य की मात्रा में वृद्धि होगी तथा योजना में उपलब्ध धनराशि से अधिकाधिक कार्य करना सम्भव होगा। अन्य राज्यों यथा– आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान में बड़ी संरचनाओं के निर्माण में मशीनों के प्रयोग सम्बन्धी निर्गत आदेशों के सम्बन्ध में भी सदन को संज्ञानित कराया गया। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा योजना में मशीनों का प्रयोग वर्जित है। आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में मनरेगा से कन्वर्जेन्स का प्रस्ताव किया गया है, ऐसी स्थिति में मशीनों का प्रयोग अनुमन्य किए जाने की दशा में इसका दुरुपयोग होने की प्रबल सम्भावना है। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा जिन परियोजनाओं में मनरेगा से कन्वर्जेन्स कराया जा रहा है, उन परियोजनाओं में मशीनों के प्रयोग को प्रतिबन्धित करने का सुझाव दिया गया। डीओएलआर, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री जगदीश सिंह, उप महानिरीक्षक, वन तथा एनआरएए के प्रतिनिधि डा0 के0डी0 शर्मा, टेक्निकल एक्सपर्ट (वाटर मैनेजमेन्ट) द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि

आईडब्ल्यूएमपी योजना की कामन गाइड लाइन्स तथा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों में मशीनों के प्रयोग को निषिद्ध नहीं किया गया है। कार्य हित में एसएलएनए परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था बना सकता है, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 801/54–1–12/8(47)/12 दिनांक 02 नवम्बर, 2012 द्वारा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से भारी मृदा कार्य वाली संरचनाओं में मशीनों के प्रयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है, जिसका उत्तर प्रतीक्षित है।

इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समस्त तथ्यों से डीओएलआर भारत सरकार एवं एनआरएए को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

17. एसएलएनए की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (आरएसएसी) द्वारा जीआईएस एवं जीपीएस की आधुनिकतम तकनीकी उपयोग से विभागीय एवं पीआईए के लगभग 150 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है, जिस पर लगभग ₹ 7.5 लाख का व्यय प्रशिक्षण मद से किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 16.11.2012 को ऑनलाइन एमआईएस फीडिंग सिस्टम का प्रशिक्षण लगभग 600 कार्मिकों को दिलाया गया, जिस पर लगभग ₹6.0 लाख का व्यय प्रशिक्षण मद से किया गया है। उपरोक्तानुसार एसएलएनए के संज्ञानार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

18. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–

(i) शासन स्तर से प्रेषित पत्र संख्या 733/54–1–12/8(43)स0ब0 दिनांक 04.10.2012, जोकि डार्क ब्लॉक्स को आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में है, पर श्री ए0के0 सिक्का, टेक्निकल एक्सपर्ट (डब्ल्यू.डी.) योजना आयोग, एन.आर.ए.ए., भारत सरकार के प्राप्त उत्तर पत्र संख्या 8–23/NRAA/WD/2012 दिनांक 07.11.2012 में डार्क ब्लॉक्स के सम्बन्ध में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि, "Para 48(b) Extent of over exploitation of ground water resources and in Para 48(g) Area of the project should not be covered under assured Irrigation with relaxation for over exploited under the critera for selection and prioritization of watershed development projects in the Common Guidelines for Watershed Development-2008 revised 2011".

उपरोक्त पत्र पर सदन में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। एनआरएए के प्रतिनिधि डा0 के0डी0शर्मा, टेक्निकल एक्सपर्ट (वाटर मैनेजमेन्ट) द्वारा उपरोक्त पत्र में दिए गये सुझाव के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में अतिदोहित (Over Exploited) ब्लॉक्स को आईडब्ल्यूएमपी योजना से आच्छादित किया जाना अनुमन्य किया गया है। सदन में उपस्थित निदेशक, भूगर्भ जल द्वारा क्रिटिकल ब्लॉक्स को भी आईडब्ल्यूएमपी योजना से आच्छादित करने का सुझाव दिया गया, जिस पर सहमति प्राप्त नहीं हुई। तद्नुसार सिंचित क्षेत्र में पड़ने वाले अतिदोहित (Over Exploited) विकास खण्डों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

(ii) आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण (**Monitoring**) थर्ड पार्टी (**Third Party**)से कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया, जिस पर सर्व सम्मति से यह सहमति बनी कि नाबार्ड (**NABARD**) द्वारा यह कार्य कराया जाय।

(iii) एनआरएए के प्रतिनिधि डा0 के0डी0 शर्मा द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना में पीपीपी मॉडल पर सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया, जिस पर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रस्ताव का परीक्षण शासकीय नियमों के आलोक में किया जा सकता है।

अन्त में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(आलोक रंजन)
कृषि उत्पादन आयुक्त

उत्तर प्रदेश शासन
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग

संख्या १२ /54–1–13/1(समादेश)/09टीसी
लखनऊ : दिनांक–०७ जनवरी, 2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव नियोजन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग ,उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, ,उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, ,उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ,उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. डा0 के0डी0 शर्मा, टेक्निकल एक्सपर्ट (वाटरशेड मैनेजमेन्ट), राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, एनएएससी काम्प्लेक्स, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली।
14. श्री जगदीश सिंह, उप महानिरीक्षक, वन (डब्ल्यू.एम.) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ब्लाक नं0–11 छठवॉ तल, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
15. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सी–11, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
16. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
17. डा0 वरदानी, संयुक्त निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
18. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, सेक्टर–जी, जानकीपुरम्, कुर्सी रोड, लखनऊ।
19. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
20. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश, लखनऊ।
21. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

7.1.13

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0शासन

o/c